प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 10 दिसम्बर, 2025

विषय:- जिला कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी महावीर पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी महावीर पुत्र श्री बाबूराम, न्यौधापुर, थाना-जहानगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। सूरजपाल से पत्नी का अवैध संबंध होने के कारण दिनांक 15.09.2011 को गला दबाकर सूरजपाल की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-68/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-06, फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 11.02.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.03.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 01 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 02 माह 14 दिन की सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद ने बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित कर सकने, भविष्य में अपराध करने का कोई अवसर हो सकने, आपसी द्वेष गॉव में है तथा मृतक के परिवार से दुश्मनी होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा दिनांक 17.03.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 01 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 02 माह, 14 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी महावीर (बन्दी संख्या-357/2019) पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1523/2025/2017(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़।

3- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहगढ़।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।